समाचार

पूर्ण लाकडाउन का पालन कराने सजग रहा निगम का अमला

(अनेक स्थानों पर लाकडाउन उल्लंघन पर की गई अर्थदण्ड की कार्यवाही)

कोरबा 09 मई 2021 –रविवार को पूर्ण लाकडाउन का पालन कराने के लिए निगम के सभी जोन में निगम का अमला पूर्ण रूप से सजग रहा एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से लाकडाउन उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की। अनेक स्थानों पर बेवजह घूमने, दुकान खोलने आदि के प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड लगाया गया तथा कड़ी हिदायत दी गई कि लाकडाउन के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उसके नियंत्रण के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा प्रभावशील किए गए लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कराने के निर्देश आयुक्त श्री एस. जयवर्धन द्वारा निगम के सभी जोन कमिश्नरों एवं मैदानी अधिकारियों को दिए गए हैं। निगम के सभी 08 जोन में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लाकडाउन का पालन कराने हेतु सतत निगरानी रखी जा रही है तथा जहां कहीं भी लाकडाउन का उल्लंघन किया जाता है, उस पर त्वरित कार्यवाही निगम अमले द्वारा की जा रही है। रविवार को पूर्ण लाकडाउन लगाया गया था, जिसका पालन कराने में निगम का अमला पूरी तरह से सजग रहा तथा जहां कहीं भी लाकडाउन का उल्लंघन किया गया, वहां अर्थदण्ड लगाया गया। दर्री जोनांतर्गत जोन कमिश्नर श्री ए.के.शर्मा की अगुवाई में सहायक अभियंता योगेश राठौर एवं राजस्व निरीक्षक शशांक दुबे के द्वारा कार्यवाही करते हुए किराना जनरल स्टोर दुकान व मिठाई दुकान खुले होने तथा बेवजह घूमकर लाकडाउन का उल्लंघन करने पर 2000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। बालको जोनांतर्गत दुकान खोलने तथा बेवजह घूमकर लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करते हुए 4200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, वहीं कोरबा जोन में भी दुकान खोलने व बेवजह घूमने वालों पर 1500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार कोसाबाड़ी जोन में पूर्ण लाकडाउन के दौरान आज चिकन दुकान खोलने व बेवजह घूमने पर कार्यवाही करते हुए 1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

<u>लगा 8700 रूपये का जुर्माना–</u> लाकडाउन उल्लंघन पर निगम अमले ने पुलिस विभाग के सहयोग से कार्यवाही करते हुए आज 8700 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। बालको जोनांतर्गत 4200 रूपये, दर्री जोनांतर्गत

2000 रूपये, कोरबा जोनांतर्गत 1500 रूपये तथा कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।